



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502



26 अक्तूबर 2023

**भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रबंधन और आचार संहिता संबंधी मास्टर निदेश के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रबंधन और आचार संहिता संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा आज अपनी वेबसाइट पर रखा है। टिप्पणियां/ फीडबैक, यदि कोई हो, तो **28 नवंबर 2023** तक "वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रबंधन और आचार संहिता संबंधी मास्टर निदेश के मसौदे पर टिप्पणियां" विषय के साथ [ईमेल](#) द्वारा भेजी जा सकती हैं।

2. निदेशों का मसौदा, मौजूदा निदेशों/ दिशानिर्देशों/ अनुदेशों को शामिल करके, अद्यतन करके और जहां आवश्यक हो, सुसंगत बनाकर तैयार किया गया है ताकि विनियमित संस्थाओं को वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग संबंधी सभी मौजूदा निदेश संदर्भ हेतु एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके।

3. [05 अगस्त 2022 को मौद्रिक नीति वक्तव्य](#) के भाग के रूप में जारी [विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य](#) में यह घोषणा की गई थी कि भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रबंधन और आचार संहिता संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा जारी करेगा।

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1180

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक